

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ ५११

दिनांक 1-8-18


समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
समस्त अधीक्षक,
सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान

विषय :- सी.ए.एस. पी.जी. अध्ययनरत चिकित्सको की डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत के संबंध में।

सन्दर्भ :- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जयपुर का पत्र क्रमांक: 20132-33 दिनांक 20.07.2019 एवं बीकानेर का पत्र क्रमांक. 3183 दिनांक 17.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.2 (10) चिस्वा/2/2018 दिनांक 14.06.2019 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर 6 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी स्कीम के तहत दिनांक 01.04.2018 से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इन पदोन्नत चिकित्सा अधिकारियों में से सी.ए.एस. पी.जी. अध्ययनरत चिकित्सक वर्तमान में अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश पर हैं, अतः इनका पदोन्नति पर कार्यग्रहण कराया जाना संभव नहीं है। आपके अधीन कार्यरत चिकित्सको को सूचित कराने का श्रम करे कि पी.जी. पूर्ण/अवकाश पूर्ण होने पर नवपदस्थापन स्थान पर ही पदोन्नति पर कार्यग्रहण करावे।




निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ ५११

दिनांक 1-8-18

प्रतिलिपि प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय का भेजकर लेख है, कि पत्र सभी संबंधित को ई-मेल करते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर